न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (...)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 20.7.2023 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
439/2022	09-09-2022	20/07/2023

उनवान

01. फकीरा
    1/1 – शेरसिंह
    1/2 – चरणसिंह
    1/3 – रणजीतसिंह पुत्रान स्व0 फकीरा जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम हसनपुरमाफी
02. साहबराम पुत्रान स्व. श्री मोहनलाल
    2/1 – अनिल पुत्र स्व. श्री साहबराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुरमाफी
03. महेश
04. अशोक
05. जसवन्त
06. सूरज पुत्रान स्व. श्री निरंजन पुत्र स्व. मोहनलाल
07. निखिल पुत्र स्व. श्री रोहताश पुत्र स्व. श्री निरंजन पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

——:: वादीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

——:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

स्थित –

01. श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन ा है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 23 बीघा व 557 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम हसनपुर ी तहसील तिजारा में स्थित है। जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा पैमुद । गये है। वर्णित आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 बा 23 बीघा, जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा है, में से अन्य ाजीयात के साथ साथ साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा रकबा की खातेदारी रिये सनद पट्टा संख्या 634 दिनांक 30.01.1983 को तहसीलदार कम मैनेंजिग आफिसर, तिजारा द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

1– यह है कि साबिक आराजी खसरा नं. 586 रकबा 23 बीघा व 557 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा में स्थित है। जिसके

गण के पिता/दादा मोहनलाल पुत्र श्री होला के नाम जारी कर दिया गया व खातेदारी हकूक दिये गये। जिसका नामान्तकरण संख्या 244 भी वादीगण के पिता/दादा मोहनलाल के नाम जूर हो गया। वादीगण के पिता/दादा मोहनलाल का नाम बतौर खातेदार काश्तकार का अमल रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। वादीगण के पिता/दादा मोहनलाल अपने जीवनकाल में दाखिल रहा है वादीगण के पिता/दादा मोहनलाल का देहान्त हो गया है। उनके मरने के बाद गण उसके विधिक वारिस आराजी पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर मिन के पिता/दादा मोहनलाल से विरासत से मिली आराजी पर वास्तविक कब्जा है। हाल आराजी म्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा रकबा सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह को आवंटित दिया गया था परन्तु सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में पटवारी हल्का की से रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा रकबा दर्ज कर दिया। जिस कारण से उपरोक्त आवंटीगण के रण संख्या 244 का अमल राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया। तत्पश्चात सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह ने नामान्तकरण संख्या 330 की अपील माननीय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय अलवर से सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा शुद्व कर सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नाम 1 बीघा 5 बिस्वा का दर्ज कर या परन्तु मिन वादीगण के पिता/दादा मोहनलाल का अंकन प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा बहाल नहीं या है तथा उक्त आराजी के गलत रूप से चार नम्बर हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0, 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल 1.05 है0 दर्ज कर दिये। जबकि उक्त भूमि में गलत रूप से अंकन गैरखातेदारान वगे. तीस घर दर्ज या। जो अंकन उपरोक्त अनुसार गलत दर्ज चला आ रहा है। जो खिलाफ मौका, खिलाफ रिकार्ड है, न वादी के हकूकों के खिलाफ आरम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे मिन इसी कदर बातिल वो बेअसर करार दिलाकर विवादित आराजी के 1 बीघा 09 बिस्वा के खातेदार कार घोषित कराने का अधिकारी है तथा गलत को दुरूस्त कराकर विधि विरूद्व तरीके से पैमुद किये टे नम्बरो को हटवाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा यानि 5.84 है0 में से घा 09 विस्वा का खातेदार काश्तकार जरिये पट्टा संख्या 634 व नामान्तकरण संख्या 244 के अनुसार करारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर जवाब दावा करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। जो ल पत्रावली की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र फकीरा पुत्र स्व0 मोहनलाल जाति मेघवाल सी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर, रामपत पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किये गये।

वादी अपनी दौराने अपनी वहस वाद के तथ्यों को दौहराया गया है। वादी के वाद को डिक्री किये का निवेदन किया गया।

कि प्रकरण में निम्न तनकीयात कामय की गई।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

नम्बर 1 – आया वादी मुताबिक सनद पट्टा व नामान्तकरण, आराजी का खातेदार है, जो इसी कदर स्वयं को खातेदार घोषित कराकर अपने नाम का अंकन कराने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

नम्बर 2 – आया वादी, प्रतिवादी को जरिये डिक्री हु0ई0 दवामी से पावन्द कराने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

नम्बर 3 – आया वादी का वाद काबिले खारिज है।

— जिम्मे प्रतिवादी

नम्बर 4 – अनुतोष।

यह कि वादीगण को जरिये सनद पट्टा भूमि आवंटित की जाकर नामान्तकरण संख्या मंजूर किया है। जिसका अमल भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। परन्तु माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, के यहां दीगर इंतकाल संख्या 330 की अपील होने से व निर्णय होने से उपरोक्त राजस्व से वादीगण के नाम का अंकन हटा दिया गया। नामान्तकरण संख्या 330 का कोई संबंध व सरोकार की आराजी से नहीं है एवं ना ही माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के निर्णय से का रकबा प्रभावित होता है परन्तु पटवारी हल्का की गलती से वादीगण का अंकन सहवन से हटा गया। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में किसी प्रकार का विरोधाभाषी कथन वाद के विपरित में नहीं कहां तु वाद में जारी सनद पट्टा व राजस्व रिकार्ड की पुष्टि की है एवं यह अंकित किया है कि यहित प्रभावित नहीं है जिस कारण से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। तनकी 1 पूर्णतया वादी के पक्ष में साबित है चूंकि प्रतिवादी राज्य सरकार है इसलिए तनकी संख्या 2 की कोई अनुतोष वादीगण को नहीं दिया जा सकता।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0, 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा 634 मान्तकरण संख्या 244 के अनुसार 1 बीघा 09 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। सार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
439 / 2022	09–09–2022	20/07/2023

उनवान

फकीरा

1/1 – शेरसिंह

1/2 – चरणसिंह

1/3 – रणजीतसिंह पुत्रान स्व0 फकीरा जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम हसनपुरमाफी

साहबराम पुत्रान स्व. श्री मोहनलाल

2/1 – अनिल पुत्र स्व. श्री साहबराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुरमाफी

महेश

अशोक

जसवन्त

सूरज पुत्रान स्व. श्री निरंजन पुत्र स्व. मोहनलाल

निखिल पुत्र स्व. श्री रोहताश पुत्र स्व. श्री निरंजन पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

———:: वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

————:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

–:: पर्चा डिक्री ::–

आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 ...6/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील ... जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा 634 व नामान्तकरण संख्या 244 के अनुसार 1 ... बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद ...वें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०